अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2758(अ).—आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 133ग तथा धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) तथा (5) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12(घ) (जिसे बाद में उक्त नियम कहा गया) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा :

(क) प्राधिकृत करता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम (2) (जिसे बाद में उक्त अनुसूची के रूप में संदर्भित किया गया) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त (क्षेत्रीय–ई निर्धारण केन्द्र) (सत्यापन एकक) [जिसे बाद में पीसीआईटी (आरइएसी)(वीयू) कहा गया] जिसका उक्त अनुसूची के कालम(3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विर्निदिष्ट स्थानों पर मुख्यालय है, को उक्त अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्राधिकार के साथ-साथ समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने तथा अतिरिक्त प्रभार संभालने तथा ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे मामलों के वर्ग अथवा उक्त अनुसूची के कालम (4) में तदनुरूपी में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग तथा उनसे सम्बन्धित आय अथवा आय के वर्ग के सम्बन्ध में समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ख) उक्त अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) को अपर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) जो उनके अधीनस्थ हैं , द्वारा उक्त अनुसूची के कालम (4) में तदनुरुपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा ऐसे मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में कार्यों का निष्पादन करने तथा लिखित रूप में शक्तियों का इस्तेमाल करने का आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ग) उपर्युक्त खण्ड ख में संदर्भित अपर आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) को उप आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू)/ सहायक आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) /आयकर अधिकारी (आरइएसी) (वीयू) जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अनुसूची का कालम 4 में तदनुरूपी प्रविष्टि में ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के वर्गों, अथवा ऐसी आय अथवा आय के वर्ग अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रधान आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) द्वारा अपर आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त (आरइएसी) (वीयू) को प्राधिकृत किया जाता है, शक्तियों का इस्तेमाल करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है :

"अनुसूची

क्र.सं.	पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), अहमदाबाद	अहमदाबाद	आयकर निदेशालय (सिस्टम), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी सूचना से सम्बन्धित भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओ के भीतर सभी प्रकार की आयों से जुड़े व्यक्तियों के सभी मामले।
2	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), सूरत	सूरत	
3	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू) बेंगलुरु	बेंगलुरु	
4	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मंगलौर	मंगलौर	
5	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू) ,चेन्नई	चेन्नई	
6	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), कोयंबटूर	कोयंबटूर	
7	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), त्रिची	त्रिची	
8	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), कोच्चि	कोच्चि	
9	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), दिल्ली-1	दिल्ली	
10	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), दिल्ली-2	दिल्ली	
11	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), दिल्ली -3	दिल्ली	
12	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू)), दिल्ली -4	दिल्ली	
13	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), हैदराबाद	हैदराबाद	
14	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), गुंटूर	गुंटूर	
15	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू) कोलकाता,-1	कोलकाता	
16	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू) कोलकाता -2	कोलकाता	
17	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू) कोलकाता -3	कोलकाता	
18	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), बर्दवान	बर्दवान	
19	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुंबई -1	मुंबई	
20	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुंबई -2	मुंबई	
21	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुंबई -3	मुंबई	
22	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुंबई -4	मुंबई	
23	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), नागपुर	नागपुर	
24	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), नासिक	नासिक	
25	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), पुणे	पुणे	
26	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), थाणे	थाणे	
27	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), इंदौर	इंदौर	
28	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), कटक	कटक	
29	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), लुधियाना	लुधियाना	
30	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), गुडगाँव	गुडगाँव	
31	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), जोरहाट	जोरहाट	
32	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), जोधपुर	जोधपुर	
33	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुरादाबाद	मुरादाबाद	
34	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), आगरा	आगरा	
35	पीसीआईटी- आरइएसी (वीयू), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	

2. यह अधिसूचना 13 अगस्त, 2020 से प्रभावी होगा।

[अधिसूचना सं. 66 /2020/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक